प्रतिलिपि आदेश दिनांक 1-5-14 पारित द्वारा श्री अशोक शिवहरे सदस्य राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर प्र0क्र0 निग0 1030-तीन/14 विरुद्ध आदेश दिनांक 3-3-14 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्रकरण क्रमांक 85/निग/12-13.

भरतपाल सिंह तनय स्व0 श्री रामपाल सिंह
निवासी ग्राम बैकुण्ठपुर तहसील सिरमौर
जिला रीवा म0प्र0 --- आवेदक

विरुद्ध

जैतून पत्नी स्व0 श्री लाल मोहम्मद
निवासी ग्राम बैकुण्ठपुर तहसील सिरमौर
जिला रीवा अन्य-4 -- अनावेदक गण

7

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 1030/III/2014 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
1-5-2014	यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 85/12–13 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 3–3–14 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ निगरानी मेमो में वर्णित तथ्यों पर आवेदक के अभिभाषक व्दारा दिये गये तर्को पर विचार किया एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा पारित आदेश दिनांक 3–3–14 का अवलोकन किया गया । आवेदक के अनुसार तत्कालीन तहसीलदार ने बैकुण्ठपुर की आराजी कमांक 655/1 रकबा 0.50 ए. एंव 359 रकबा 0.30 ए. आदेश दिनांक 30.11.1984 से उसे आवंटित की थी तभी से वह भूमिस्वामी काविज है, किंतु खसरे में आवंटिती भरतपाल का नाम दर्ज होने से छूट गया, जिसके आधार पर आवेदक ने खसरे में प्रविष्टि शुद्व कर, तदाशय का इन्द्राज करने का आवेदन दिया, किन्तु वरिष्ठ न्यायालयों की आज्ञाओं के विपरीत निर्णय लेकर अपर आयुक्त ने मामला फिर से जांच हेतु रिमान्ड करने में गलती की है। 4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि वादोक्त भूमि	

III/2014

उसकी प्रविष्टि खसरे में दर्ज होना छूट जाने के बिन्दु पर है। वर्तमान में वादोक्त भूमि पर मौके पर कई व्यक्तियों के रिहायशी मकान बने होने का तथ्य प्रकरण में आया हैं और मामला आदेश दिनांक 30.11.84 से आवेदक के हित में भूमि बन्टित होने एंव खसरे में उसका नाम दर्ज हेाकर कब्जा होने का है। आवंटिति आवेदक के अनुसार वह मौके पर काविज है जब वह मौके पर काविज है तब वादोक्त भूमि पर मौके पर कई व्यक्तियों के रिहायशी मकान कैसे बन गये तथा किस प्रकार उसका नाम खसरा प्रविष्टि से कब छूटा है ? जांच का विषय है और इन्हीं कारणों से अपर आयुक्त ने प्रकरण कमांक 85/12–13 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 3–3–14 से मूल खसरे बुलाकर एंव सही–सही स्थिति की जांच करने हेतु प्रकरण कलेक्टर को प्रत्यावर्तित किया है जिसमें किसी प्रकार का दोष नजर नहीं आता है। वैसे भी आवेदक को कलेक्टर के समक्ष लेखी साक्ष्य एंव मौखिक साक्ष्य तथा अपना पक्ष प्रबल रूप से रखने का अवसर प्राप्त है जिसके कारण भी विचाराधीन निगरानी में अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 3–3–14 में हस्तक्षेप का कोई औचित्य नजर नहीं आता है।

12/5/14

6/ उपरोक्त कारणों से निगरानी सारहीन पाये जाने से इसी–सतर पर निरस्त की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करें।

(अशोक शिवहरे) 12/5/14
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर